न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री राकेश कुमार न्योल, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 123/2019

1. इन्द्राज पुत्र संताराम जाति जाट निवासी डीडवाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। – वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर –प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग अधिवक्ता वादी।
2. पैरोकार राज।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.11.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मिठडीया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 539 में 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 में 5.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.73 हैक्टेयर बारानी भूमि अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त में है जो खरीदशुद्धा भूमि है व वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। वादगत भूमि वादी ने जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इन्द्रराम चला आ रहा है क्योंकि वादगत भूमि वादी की पुरानी थी उस वक्त क्रेता कोई दस्तावेज साथ में नही लगता था वादी का नाम भूलवंश से इन्द्रराम लिखा गया है किन्तु वास्तविक नाम

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

इन्द्राज था इस कारण वादी इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम की घोषणा करवाने के हकदार है। इन्द्रराम का अन्य सभी दस्तावेजों में इन्द्राज नाम दर्ज है इसलिए इन्द्रराम व इन्द्राज एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए है। दोनों नामों को एक ही पढा व समझा जावें। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज दर्ज किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार से हानि नहीं हो रही है। नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकेगा। दिनांक 02.09.2019 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा स्पष्ट इंकार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। सरकार के खिलाफ दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु दावा अन्यन्त अर्जेन्ट नेचार का होने के कारण दावा नोटिस के अभाव में पेश किया जा रहा है। इसलिए धारा 80 सीपीसी के नाटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मिठडीया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 539 में 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 में 5.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.73 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादी का अपना नाम इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम की घोषणा की जावे।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रतिवादी स्टेट को समन जारी किए गए। स्टेट की ओर से राज पैरोकार ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादी का नाम इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज किया जाता है तो सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। न्याय हित में शुद्ध किया जाना उचित है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी ग्राम मिठड़ीया सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 371, जमाबंदी ग्राम डीडवाना सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 5 बहक वादी, जमाबंदी ग्राम डीडवाना सम्वत 2068–2071

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 64 बहक वादी, फोटो कॉपी बैयनामा, वोटर आई कार्ड बहक वादी, आधार कार्ड बहक वादी, ई–पेन कार्ड बहक वादी, राशन कार्ड बहक वादी प्रस्तुत किये।

4. बहस उभयपक्ष समाअत की गई व सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए वादपत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मिठड़ीया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 539 में 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 में 5.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.73 हैक्टेयर बारानी भूमि अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त में है जो खरीदशुद्धा भूमि है व वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। वादगत भूमि वादी ने जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इन्द्रराम चला आ रहा है क्योंकि वादगत भूमि वादी की पुरानी थी उस वक्त केता कोई दस्तावेज साथ में नही लगता था वादी का नाम भूलवंश से इन्द्रराम लिखा गया है किन्तु वास्तविक नाम इन्द्राज था इस कारण वादी इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम की घोषणा करवाने के हकदार है। इन्द्रराम का अन्य सभी दस्तावेजों में इन्द्राज़ नाम दर्ज है इसलिए इन्द्रराम व इन्द्राज एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए है। दोनों नामों को एक ही पढा व समझा जावें। अलग–अलग नाम होने के कारण वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज दर्ज किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार से हानि नहीं हो रही है। नाम शुद्ध होने से वादी को न्याय मिलेगा व सरकारी सुविधा प्राप्त कर सकेगा। दिनांक 02.09.2019 को वादी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा स्पष्ट इंकार करने पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। सरकार के खिलाफ दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु दावा अन्यन्त अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण दावा नोटिस के अभाव में पेश किया जा रहा है। इसलिए धारा 80 सीपीसी के

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

नोटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मिठडीया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 539 में 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 में 5.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.73 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादी का अपना नाम इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज नाम की घोषणा करवाने का हकदार है व अन्य अनुतोष जो न्यायहित में हो वादी को दिलवाया जावे।

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता के प्रत्युत्तर में राज पैरोकार ने कथन किया कि वादगत भूमि में वादी का नाम इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज किया जाता है तो सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। न्याय हित में शुद्ध किया जाना उचित है।

6. हमने पत्रावली का भलीभांति अध्ययन व मनन किया। उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन करने उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादगत भूमि में वादी का नाम सहवन से दौराने बैयनामा इन्द्राज के स्थान पर इन्द्रराम दर्ज हुआ है जो कि जमाबंदी ग्राम डीडवाना सम्वत 2068–2071, विक्रय पत्र व अन्य पहचान पत्र आदि साक्ष्य जो वादी ने प्रदर्श करवायें है के मुताबिक साबित होता है। अतः मौजा रोही मिठड़ीया तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 539 में 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 541 में 5.06 हैक्टेयर कुल तादादी 5.73 हैक्टेयर बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज संयुक्त खातेदारी भूमि में इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

APP - crim-I A

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरनपुर

इन्द्राज बनाम सरकार

किस्म मुकदमा राजस्थान अन्तर्गत नं. 123 सन् 2019

धारा 88 RT Act 136 LR Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/9/19	आज यह पत्रावली श्री नेतराम एडवोकेट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर मुरतीम हुई। रिपोर्ट सरिश्ते मुताबिक पूर्ण कोर्ट फीस पर है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। अतः दर्ज रजिस्टर होवे। प्रतिवादी जरिये समन तलबाना तामील होकर पत्रावली दिनांक 30/9/19 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश व कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। रीड.	
30/9/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश व कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 21/10 को पेश हो। रीड.	
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश व कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 14/11/19 को पेश हो। रीड.	
14/11/19	पत्रावली पेश हुई। पी. अ. अवकाश व कार्यों में व्यस्त। आयन्दा पत्रावली दिनांक 26/11/19 को पेश हो। रीड.	
26/11/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राज्य पैरोकार उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner